12.23 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

In these circumstances, the Government should implement the assurance given recently to the people of Madurai and the tourists of the country that the runway of Madurai Aerodrome would be made fit for the landing of Boeing service. In fact, Madurai aerodrome should be declared as Madurai Airport and all other concomitant service should be provided immediately. The country cannot afford to lose valuable foreign exchange by not providing daily Boeing service to foreign tourists and also by not sending plantation crops like cardamom, etc., by air.

(iv) PROBLEMS FACED BY FARMERS OF NORTH INDIA DUE TO NON-LIFTING OF SUGARCANE BY MILL OWNERS.

श्री दया राम शाक्य (फर्रूखाबाद): उत्तर भारत के चीनी मिल समुचित मात्रा में किसानों का गन्ना नहीं ले रहे हैं, जिससे किसानों का लगभग 1/3 गन्ना या तो खेतों में सूख जावेगा या किसानों को अपना गन्ना जला देना पड़ेगा जिससे कृषकों की अत्याधिक हानि होगी एवं राष्ट्रीय हानि भी होगी। मिलों में किसानों को कई-कई दिन तक अपने वाहनों सहित खड़ा रहना पड़ता है। इन सारी बातों से किसानों में घोर निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। सरकार अतिशीघ्र सारे गन्ने को पेरने की व्यवस्था करे।

(v) NEED & IMPOSE BAN ON PRODUCTION AND USE OF KESARI DAL.

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : मध्य प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के दक्षिणी भाग में एक बड़े क्षेत्रफल में खेसारी दाल की खेती की जाती है। बड़े-बड़े भू स्वामियों के पास उच्चतम सीमा के अतिरिक्त बेनामी पट्टे की काफी भूमि है जिसका अधिकांश क्षेत्रफल खेसारी की खेती में प्रयुक्त होता है, चूंकि इसकी खेती आसान होती है, सिंचाई तथा खाद उर्वरक आदि साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए विशेषकर जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहां बड़े-बड़े किसान खेसारी की खेती कर लेते हैं। इसका उपभोग वे किसान स्वयं नहीं करते वरन् कृषि श्रमिकों को उनकी मजदूरी के रूप में खेसारी दाल का भुगतान कर देते हैं। श्रमिकों को नकदी या अन्य जिन्सों में मजदूरी या भुगतान नहीं किया जाता। खेसारी दाल के सेवन से श्रमिक लक्वे की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। श्रमिक खेसारी दाल की रोटियां बना कर खाते हैं और वे लगभग सात माह अथवा अधिक समय के पश्चात् लक्वा के शिकार हो जाते हैं। भुक्तभोगियों को प्रारम्भ में तीव्र ज्वर और घुटनों में दर्द होता है और अन्ततोगत्वा उनके पैर पंगु हो जाते हैं।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने 1978 में उस क्षेत्र के कृषि श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के अध्ययन हेतु एक सर्वेक्षण किया था और इन तथ्यों को प्रकाश में लाया था। प्रतिष्ठान ने प्रदेश के श्रम विभाग को भी इन तथ्यों से अवगत कर दिया था। इससे पूर्व भी खेसारी दाल के घातक प्रभाव की जानकारी एक लम्बी अवधि से है, परन्तु इसके निदान का उपाय नहीं किया जा सका। यह विदित हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1970 में खेसारी की दाल के विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया था परन्तु भूस्वामियों के प्रभाव के कारण उसका पालन नहीं हो सका। देश के लगभग शत प्रतिशत कृषि श्रमिक कुपोषण के शिकार हैं। इस क्षेत्र के लगभग 78 प्रतिशत गरीब मजदूर इस बीमारी के